

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 72 / 2020 (Bank Case)

GCMS NO- 2020/00197

एच०डी०एफ०सी० लिमिटेड शाखा - सी स्कीम जिला जयपुर ।
- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री ललित नारायण शर्मा पुत्र श्री बद्रीलाल शर्मा श्रीमती नीति गौतम
पत्नि श्री ललित नारायण शर्मा, मैसर्स वासी गोल्डन फूड्स जरिये प्रो०
ललित नारायण शर्मा

पता- मकान नम्बर 34-ए सूर्य नगर, ग्रामीण पुलिस लाईन, ग्राम
रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, बांरा रोड, कोटा राज० 324004

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्युरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ
फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट
2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 23.12.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि एच०डी०एफ०सी० लिमिटेड शाखा - सी स्कीम जिला जयपुर से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 26.03.2018 एवं 29.03.2018 एवं 26.03.2018 को 19,19,044/- (अक्षरे:उन्नीस लाख उन्नीस हजार चत्वारसीस रूपये मात्र) (ऋण खाता संख्या-631426467) एवं 34,786/- (अक्षरे चौतीस हजार सात सौ छियासी रूपये मात्र) (ऋण खाता संख्या-632069933) एवं 8,50,000/- (अक्षरे आठ लाख पचास हजार रूपये मात्र) (ऋण खाता संख्या-6314226560) (कुल ऋण 28,03,830) (अक्षरे: अट्ठाईस लाख तीन हजार आठ सौ तीस रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत की गई अचल सम्पत्ति का विवरण-मकान नम्बर 34-ए, सूर्य नगर, ग्रामीण पुलिस लाईन, ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, बांरा रोड, कोटा, राज० (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 133.33 वर्गमीटर) चतुःसीमा- पूर्व में- प्लाट नम्बर 34 का हिस्सा , पश्चिम में-रोड 20 फीट , उत्तर में-रोड 30 फीट, दक्षिण में- प्लाट नम्बर 35 स्थित है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2016 से अप्रार्थी श्री ललित नारायण शर्मा के नाम दर्ज है। प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 11.03.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 29,36,558/- (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख, छत्तीस हजार, पाच सौ अठ्ठावन रूपये मात्र) दिनांक 31.05.2020 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते हैं। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 04.06.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक


जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 04.06.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 04.06.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता की अचल सम्पत्ति का विवरण—मकान नम्बर 34—ए, सूर्य नगर, ग्रामीण पुलिस लाईन, ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, बांरा रोड, कोटा, राज0 (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 133.33 वर्गमीटर) चतुःसीमा— पूर्व में— प्लॉट नम्बर 34 का हिस्सा , पश्चिम में—रोड 20 फीट , उत्तर में—रोड 30 फीट, दक्षिण में— प्लॉट नम्बर 35 स्थित है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2016 से अप्रार्थी श्री ललित नारायण शर्मा के नाम दर्ज है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को सुनाया गया ।


(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)